फाइल नं0-71-1002(099)/17/2021

134/2021/1/112697/2021

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक09 नवम्बर, 2021

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में एम0डी0 नेत्र चिकित्सालय, प्रयागराज हेतु उपकरणों के क्रय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2021/701, दिनॉक 11-10-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एम0डी0 नेत्र चिकित्सालय, प्रयागराज में उपकरणो का क्रय किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न सूची में उल्लिखित उपकरणों के क्रय हेतु निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रू0 2,00,00,000.00 (रू0 दो करोड़ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

1- विद्यमान वित्तीय नियमों व प्राविधानों का पालन करते हुए तथा नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाते हुये ही उपकरणों का क्रय किया जाये।

2- उपकरणों के प्रोपरायटरी होने का निर्धारण किये जाने का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण , उ0प्र0 तथा संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य का होगा। क्रय किये जाने वाले उपकरणों के स्पेसिफिकेशन, क्रय प्रक्रिया सुनिश्चित करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य का होगा।

3- उपकरणों की गुणवत्ता मानक के अनुसार निर्धारित करते हुये आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।

4- उपकरणों के क्रय के उपरान्त विभागीय बजट में प्राविधानित धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- उपकरणों क्रय हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत सुसंगत नियमों व शासनादेशों एवं यू0पी0 प्रोक्योरमेन्ट एण्ड गुड्स मैनुअल, 2016 में में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- उक्त स्वीकृत धनराशि से उपकरणों का क्रय नियमानुसार क्रय प्रक्रिया पूर्ण करके किया जाएगा।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

9- कोविड -19 की आकस्मिकता के दृष्टिगत महानिदेशक , चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा नियमानुसार त्वरित कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

10- डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाए कि विगत 05 वर्षो में इस प्रकार के उपकरण की क्रयदारी नहीं की गई तथा उपकरण रखने हेतु स्थान संरक्षित एवं संसाधनयुक्त है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

11- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग- 2 के शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97 (ल0उ0) /2016, दिनॉक 23.08.2017 में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2018/868/18-2-2017-2(एस0पी0) /2017, दिनॉक 15.01.2018 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्यालयाध्य (रू0 1.00 लाख तक) तथा विभागाध्यक्ष द्वारा (रू0 50.00 लाख) क्रयाधिकार संबंधी निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत ही क्रय प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही क्रयादेश निर्गत किये जायेंगे।

13- पारदर्शी प्रक्रिया से गुणवत्तायुक्त सामग्री का क्रय तथा तदनंतर आडिट का उत्तरदायित्व संबंधित प्रधानाचार्य/महानिदेशक , चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण का होगा।

14- पारदर्शी प्रक्रिया तथा सुसंगत नियमों का पालन अवश्य किया जाये।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-49-एम0डी0 नेत्र चिकित्सालय, प्रयागराज-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी0-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22-03-2021 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

संख्या:- उपरोक्त तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज।
6- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संलग्नक-

क्र0	उपकरण का नाम	मात्रा	उपकरण की अनुमानित मूल्य 05 वर्ष की वारण्टी व 05 वर्ष की सी0एम0सी0 के साथ
1	Operating Microscope	03	5400000.00
2	Phaco Emulsification Machine	01	7800000.00
3	Yag Laser	01	2100000.00
4	Corneal Topographer	01	3500000.00
5	Autoclave Sterilizer	01	1200000.00
			20000000.00

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।